छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2012–2013

खण्ड - छ:

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

1. प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा अन्य अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में इस्पात, सीमेंट, विद्युत परियोजनायें तथा अन्य उद्योग काफी संख्या में स्थापित हुए हैं। साथ ही वन तथा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे राईस, पोहा मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर आदि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। राज्य में औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख रूप से रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ एवं दंतेवाड़ा में संचालित है । इन क्षेत्रों में स्पंज आयरन, पेपर, सीमेन्ट, फर्टीलाईजर तथा कुछ अन्य उद्योगों के साथ लघु/कुटीर उद्योग जैसे राईस एवं पोहा मिलें बहुतायत में स्थापित हैं।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :–

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है :–

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008
6. खतरनाक रसायन विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
7. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000
8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हरतन) नियम, 1998
9. प्लास्टिक विनिर्माण, विक्रय व उपयोग नियम, 1999
10. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
11. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
12. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006

3. संगठनात्मक संरचना :–

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय रायपुर में तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय है, जो नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

तालिका–1

कमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई–दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 198 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को कमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।

(2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्र व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अतंर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जी चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 20 फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आ ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य :–

5.1 जल एवं वायु सम्मति

(अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्र अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को कमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जा है। 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप मे रू0 2,64,49,000/– त नवीनीकरण शुल्क के रूप में रू0 5,98,89,050/– प्राप्त हुए।

(ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका–2

दिनांक 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक उद्योगों को जारी की गई सम्मति / सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थापना / संचालन सम्मति	नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	90	198
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	276	329
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई–दुर्ग	115	294
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	122	220
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	30	41
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	48	124
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	118	193
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	15	129
	कुल	**814**	**1528**

5.2 जल उपकर

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अंतर्गत उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किये गए जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर उपकर निर्धारित किया जाता है। प्राप्त राशि को मूलतः भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है। इसमें से 80 प्रतिशत राशि बोर्ड को वापस प्राप्त होती है। बोर्ड के राजस्व का यह प्रमुख स्त्रोत है। मंडल द्वारा 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक जल उपकर शुल्क के रूप में रू. 4,31,00,000 / – प्राप्त हुए हैं ।

5.3 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ– महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी–डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :–

तालिका –3

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	71
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	48
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	08
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	28
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	44
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	27
	कुल	226

(ब) अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों झीलों, बांधों एवं तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेशित किये गये :–

तालिका –4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	208
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	114
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	80
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	204
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	136
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	27
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	29
	कुल	798

(स) औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूनें एकत्रित कर विश्लेशित किये गये :–

तालिका–5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	180
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	118
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	36
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	79
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	49
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	11
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	86
	कुल	**559**

5.4 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा एवं दुर्ग–भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई–आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका – 6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस. पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	755	755	1510	1510
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	216	–	389	389
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	213	–	426	426
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	292	292	572	572
	कुल	**1476**	**1047**	**2897**	**2897**

(ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग

औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत् निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:–

तालिका –7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई –दुर्ग	212	179
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	144	111
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	06	88
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	01	27
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	170	159
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	215	37
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	81	72
	कुल	**829**	**673**

5.5 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी :–

(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि में लोक सुनवाई की जानकारी :–

तालिका –8

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	20

5.6 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका –9

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिसों की संख्या	निर्देशों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	24	06
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	63	–
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	07	–
4	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	12	–
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	06	04
6.	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	–	–
7.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	22	02
कुल		**138**	**12**

6. न्यायालयीन कार्यवाही :–

दिनांक 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 10

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	उपरोक्त अवधि में दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	02
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	06
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	–
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	–
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	01
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	–
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	–
	कुल	**09**

7. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम 2009.

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि में प्राधिकार की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका 11

कं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जारी प्राधिकारों की संख्या	जारी नवीनीकरण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	04	06
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	03	02
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	03	–
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	–	–
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	05	03
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	07	–
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	16	–
	कुल	**38**	**11**

8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1998

इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक की अवधि में प्राधिकार की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका –12

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जारी प्राधिकारों की संख्या	जारी नवीनीकरण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	07	04
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	03	10
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	01	02
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	15	05
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	10	07
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	–	110
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	–	40
	कुल	**36**	**178**

9. ध्वनि स्तर मापन :–

मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 225 है।

10. खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट क्लिन में को–प्रोसेसिंग किया जाना :–

खतरनाक ठोस अपशिष्टों का सीमेंट प्लांट की क्लिन में को–प्रोसेसिंग एक अच्छा व फायदेमंद विकल्प है। मंडल के इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के 02 प्रमुख सीमेंट उद्योगों द्वारा इस कार्य हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई है एवं 03 अन्य द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

11. कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :–

मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर एवं भिलाई में कुल 28 कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं।

12. वृक्षारोपण बाबत् जानकारी (वर्ष 2011–12 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :–

तालिका –14

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	190180
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	81596
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	56060
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	507000
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई–दुर्ग	140264
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	767809
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	71500
	कुल	**1814409**

13. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता अभियान :–

स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 4000 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया प्रत्येक इको क्लब को रूपये 2500 प्रतिवर्ष के मान से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राज्य में 2 लाख स्कूली बच्चे कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

14. जन जागरूकता अभियान :–

1. मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2012, के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन नवीन विश्राम गृह रायपुर में किया गया। इस अवसर पर स्कूली व महाविद्यालीयीन छात्र –छात्राओं की राज्य स्तरीय स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1. मंडल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर 2012 को महाविद्यालयीन ग्रीन क्विज का आयोजन किया गया।

2. मंडल द्वारा दिनांक 05 सितम्बर को बायोडायवर्सिटी विषय पर स्कूली बच्चों की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

4. मंडल द्वारा दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर को राज्य स्तरीय ईको बाल मेले एवं सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के लगभग 200 स्कूली बच्चों व शिक्षकों ने भाग लिया।

5. क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई द्वारा 22 अप्रैल 2012 विश्व वसुन्धरा दिवस एवं दिनांक 16 सितम्बर 2012 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों की प्रतियोगितायें, मॉडल, पोस्टर, प्रदर्शनी एवं रैली का आयोजन किया गया। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण विषयों पर झांकी प्रदर्शित की गई।

6. राज्योत्सव 2012 के अवसर पर मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंडल की गतिविधियों पर आधारित स्टॉल लगाकर जन जागरूकता हेतु पाम्प्लेट्स इत्यादि का वितरण किया गया।

15. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :–

मुख्य आय के स्त्रोत :–

(अ) जल एवं वायु सम्मति शुल्क

(ब) जल एवं वायु वार्षिक सम्मति नवीनीकरण शुल्क

(स) जल उपकर से प्राप्त राशि

(द) जल एवं वायु विश्लेषण से प्राप्त राशि वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका–15

वित्तीय वर्ष	सम्मति शुल्क रू.	नवीनीकरण शुल्क रू.	जल उपकर शुल्क रू.	राज्य शासन से प्राप्त राशि रू.
2011–2012	2,64,49,000/–	5,98,89,050/–	3,99,20,000/–	–

16. प्रस्तावित कार्ययोजना :–

1. संस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिसके तहत् बोर्ड के प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाया जाना।
2. बोर्ड में कार्यरत तकनीकी एवं वैज्ञानिकी अमले का समय–समय पर नवीन तकनीकी से अवगत कराने हेतु ट्रेनि आयोजित करवाना।
3. विभिन्न उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/संयत्रों का सतत मूल्याकंन एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चि किया जाना जिससे कि उद्योगों का मानकों के अनुरूप उत्सर्जन सुनिश्चित हो सके।
4. समस्त उद्योगों में सड़क को पक्का करना एवं वृक्षारोपण के विस्तार के साथ–साथ जल छिड़काव कराने क प्रयास सुनिश्चित करना जिससे कि फ्युजीटिव उत्सर्जन नियंत्रित हो सके।
5. समस्त उद्योगों में जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना कराना।
6. राज्य के उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को और पुख़्ता किया जाना।
7. फ्लाई ऐश का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु फ्लाई ऐश के उपयोग पर विशेष बल दिया जाना।
8. विभिन्न पर्यावरणीय महत्व के विषयों पर कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।